

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में,

1-अपर निदेशक(ग्रेड-11),पशुपालन विभाग,मिर्जापुर ।
2-मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,पशुपालन विभाग,बाराबंकी ।

संख्या

/बजट/29(5)/30/13/2017-18

दिनांक 24/5/2017

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक 001-निदेशन तथा प्रशासन- 03-निदेशालय
योजनान्तर्गत पक्ष में अधिष्ठाण/आकस्मिक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आपके द्वारा की गयी मांग एवं बजट उपलब्धता के आधार पर वेतन आदि का भुगतान किये जाने हेतु संलग्न एलाटमेंट ग्रेड रिपोर्ट के अनुसार कुल ₹0 309.63 लाख(रूपये तीन करोड़ नौ लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि इस निर्देश के साथ आवंटित की जाती है। आवंटित धनराशि का व्यय निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जाय :-

- (1) आवंटित धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस आप द्वारा की मांग के अनुसार जिस धनराशि का आवंटन किया जा रहा है उसका आहरण इसके पूर्व न किया गया हो ।
- (2) आवंटित धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02-01-2017 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/ 94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- (3) आवंटित धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/ बैंक/डाकघर में नहीं रक्खा जायेगा ।
- (4) आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में अनुमन्य न होगा तथा धनराशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा,जिसके लिये धनराशि आवंटित की जा रही है। विचलन की दशा में इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का होगा ।
- (5) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।
- (6) आवंटित व्यय से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।
- (7) उक्त व्यय चालू वित्तीय व्यय 2017-18 के अनुदानसं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।
- (8) आवंटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि आवंटन पंजीका के क्रम सं0-2 के पृष्ठ सं0-10 से 102 तक पर अंकित कर ली गयी है ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक

संख्या 597

/बजट/29(5)/30/13/2017-18, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- विशेष सचिव,पशुधन अनुभाग-2,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय-लखनऊ ।
- 2- प्रधान महालेखाकार ,(लेखा एवं हकदारों)-प्रथम,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।
- 3- महालेखाकार(सी0पी0सी0)-3,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।
- 4- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी,बाराबंकी/मिर्जापुर ।
- 5- कम्प्यूटर सुपरवाइजर,मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन को विभागीय बैवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक

Print Report
Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-24/05/2017

प्रेषण संख्या:- 597
आवंटन आदेश संख्या:- 006-29-5-30-13-2017-18
अनुदान संख्या:- 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((पशुधन)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2403 - पशु पालन(आयोजनेतर-मतदेय)
001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - निदेशालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-महगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	42-अन्य व्यय	योग
1	मिर्जापुर-2292-अपर निदेशक-ग्रेड-2 - पशुपालन , --01-अपर निदेशक - ग्रेड-2- पशुपालन	वर्तमान	2000000	100000	150000	15000	2265000
		प्रगामी	3920000	177000	308000	15000	4420000
2	बाराबंकी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान	27500000	700000	498000	0	28698000
		प्रगामी	50162000	1606000	1490000	0	53258000
	योग	वर्तमान	29500000	800000	648000	15000	30963000
		प्रगामी	54082000	1783000	1798000	15000	57678000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ नौ लाख तिरैसठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ छिहत्तर लाख अठहत्तर हजार


(नरेंद्र प्रकाश सिंह)
वित्त नियंत्रक
5/24/17